

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2663]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2014/पौष 8, 1936

No. 2663]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2014/PAUSHA 8, 1936

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3300(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी समर्पित मालभाड़ा कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भूमि अर्जन अधिकारी, रोहतास, सासाराम, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर के लिए रोहतास जिला में आने वाली संरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम – रोहतास

क्रम सं.	सर्किल का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं.	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	सासाराम	(1) उत्तिमपुरहरा	104	59	0.1235
				57	0.0473
				56	0.0041
(2)	शिवसागर	(1) बरैला	73	59	0.3198
				61	0.0516
				62	0.3644
		(2) औरैया	16	423	0.3826
				485	0.0202
				484	0.0891

[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/568]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं – I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, 29th December, 2014

S.O. 3300(E)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the District Rohatash in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, District Land Acquisition Officer, Rohatash, Sasaram, Bihar, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Rohatash for special Railway Project Eastern Dedicated Freight Corridor District Rohatash in the State of Bihar.

Name of District - Rohatash

Sl. No.	Name of the Circle	Name of the Village	Thana No.	Survey No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Sasaram	(1) Uttimpur Harha	104	59	0.1235
				57	0.0473
				56	0.0041
(2)	Shivsagar	(1) Baraila	73	59	0.3198
				61	0.0516
				62	0.3644
		(2) Auraiya	16	423	0.3826
				485	0.0202
				484	0.0891

[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/568]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities - I)